केन्द्रीय विद्यालय एसएसवी श्रीनगर में साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले पूर्णतः अंशकालिक शिक्षकों के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता

Tİ	पद एवं विषय	AC
क्रुसं		शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता
I	पीजीटी (भौतिक विज्ञान, रसायन	संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा वी॰एड॰
	विज्ञान,गणित, जीव विज्ञान,अँग्रेजी, हिन्दी)	
2	पीजीटी (कंप्यूटर)	न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा
		बीई/बीटेक (कंप्यूटर विज्ञान) एम॰सी॰ए॰/एम॰एस॰सी॰(इलेक्ट्रोनिक/ कंप्यूटर विज्ञान)
3	टीजीटी (सामाजिक अध्ययन)	ि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि व संबंधित विषय में भी 50% अंक अनिवार्य है तथा बी。एड。
		2॰ सीटीईटी पेपर-2 उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
		3. निम्नलिखित में से कोई दो विषय :
		इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा इनमें से एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है
4	टीजीटी (गणित,संस्कृत,अँग्रेजी)	ी. न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि व संबंधित विषय में भी 50% अंक अनिवार्य है तथा वी。एड。
		2॰ सीटीईटी पेपर-2 उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
5	प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी)	ा. न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट <mark>या समकक्ष तथा</mark> एलिमेंटरी एजुकेशन (किसी
		भी नाम से जाना जाता है) में 02 वर्षीय डिप्लोमा।
		2॰ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष तथा 04 वर्षीय एलिमेंटरी एजुकेशन स्नातक।
		3॰ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष तथा 02 वर्षीय डिप्लोमा इन
		एजुकेशन (विशेष एजुकेशन)। 4. सीटीईटी पेपर-1 उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
6	योग प्रशिक्षक	4. साटाइटा पपर-1 उत्ताण किया हाना चाहिए। स्नातक उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से संस्थागत डिप्लोमा/डिग्री
	पान प्रशिक्षक	स्तातक उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्थान सं संस्थानत ।इएनामा/।इग्रा
7	कंप्यूटर प्रशिक्षक	बीई/बीटेक (कंप्यूटर विज्ञान) बी॰सी॰ए॰/एम॰सी॰ए॰/एम॰एस॰सी॰(इलेक्ट्रोनिक/ कंप्यूटर विज्ञान) स्नातक
		स्नातकोत्तर (भौतिक विज्ञान/गणित) सहित पीजीडीसीए या "ए"लेवेल या बीसीए मान्यता प्राप्त संस्थान से
8	नर्स	मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/Govt. approved Diploma of General Auxiliary Midwife
9	विशेष शिक्षक (Special Educator)	1. XII passed and two year D.Ed. Special Education in anyof the category of disability.
	Elementary (Primary/Upper	OR
	Primary)	2. XII passed and one year Diploma in Special Education (DSE) in any of the category
		disability.
		OR
		3. Diploma in Community based Rehabilitation (DCRB) with six months Certificate course in Education of Children with Special peads.
		in Education of Childrenwith Special needs. OR
		4. Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with six
		months Certificate course in Education of Children with Special needs.
		OR
		5. Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with six months Certificate course in
		Education of Children with Special needs
		OR 6. Junior Diploma in Teaching the Deaf
		OR
		7. Primary Level Teacher Training course in Visual Impairment.
		OR
		8. Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/ Diploma in
		Vocational Training and Employment Mental Retardation (DVTE-MR) with six months
		Certificate course in Education of Children with Special needs. OR
		9. Diploma in Hearing Language and Speech with six months Certificate course in
		Education of Children with Special needs.
		OR
		10. XII passed with RCI recognized qualification of minimum one year duration and six
		months Certificate course in Education of Children with special needs.
		OR
		Any other equivalent qualification approved by RCI B.A/B.Sc. (Psychology) with Certificate of Diploma in Counseling.
0	परामर्शदाता	
10		Desirable Qualification: Required Minimum of One Year experience in Providing
10		Desirable Qualification: Required Minimum of One Year experience in Providing Career/Educational Counseling to students at schools. Or Working knowledge

नोट :

- सभी पदों के लिए आयु सीमा 31.03.2024 को 18 से 65 वर्ष के मध्य। 1.
- अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों के माध्यमों में पढ़ाने की दक्षता एवं कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान एवं कौशल अनिवार्य है।
- निर्धारित मानदेय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार देय होगा।
- साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- टी.ई.टी. उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षण अनुभव को वरीयता दी जाएगा।
- ये नियुक्तियाँ पूरी तरह से संविदा पर अनुबंध आधारित होंगी व इस आधार पर के.वि.सं. में नियमित नियुक्ति का दावा अमान्य होगा।